

ईमेल / फैंक्स

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उ०प्र०,निशातगंज,लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-8289-8512/2011-12,

दिनांक: 22 मार्च 2012

विषय:-बेसिक शिक्षा परिषद्रीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के अध्ययनरत सामान्य वर्ग के बालकों को निःशुल्क वितरण हेतु सत्र 2010-11 तथा सत्र 2011-12 में कय की गयी पाठ्य पुस्तकों हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में आवंटित धनराशि से भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने तथा अवशेष की मांग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक बी/587-1001/2011-12 दिनांक 30-05-2011 द्वारा धनराशि रू० 9,28,40,000/- (रूपये नौ करोड़ अट्ठाईस लाख चालीस हजार मात्र) तथा इस कार्यालय के पत्रांक बी/6742-7163/2011-12 दिनांक 24-01-2012 द्वारा धनराशि रू० 9,28,40,000/- (रूपये नौ करोड़ अट्ठाईस लाख चालीस हजार मात्र) का आवंटन आप की मांग के अनुरूप आपके जनपद को किया गया है। साथ ही उक्त आवंटन पत्र के माध्यम से ही आपको निर्देशित किया गया है कि उक्त आवंटित धनराशि को तत्काल मुद्रकों / प्रकाशकों द्वारा आपूर्तित पाठ्यपुस्तकों के प्रति उपलब्ध कराये गये बिल के सापेक्ष नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र तत्काल पाठ्यपुस्तक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। परन्तु आप द्वारा अद्यतन कोई भी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है जो आप द्वारा विभागीय निर्देशों की अवहेलना का प्रतीक है।

यह अत्यंत खेदजनक है कि दो किशतों में आवंटित धनराशि को कमशः माह मई एवं जनवरी में ईमेल के माध्यम से आपके मेल आईडी पर प्रेषित करने के साथ ही डाक के माध्यम से भी आपको आवंटन पत्र उपलब्ध कराया गया है। किन्तु कोषवाणी के वेबसाइट से जनपदों द्वारा आवंटन एवं व्यय का विवरण निकालकर समीक्षा किए जाने पर यह प्रकाश में आया कि अभी भी जनपद गौतमबुद्धनगर, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूँ, फतेहपुर, चन्दौली, मिर्जापुर, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, बलिया, हमीरपुर, सुलतानपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बिजनौर, जे०पी०नगर, इटावा, कन्नौज, मुजफ्फरपुर द्वारा कोषागार में बजट ही नहीं फीड कराया गया है।

भुगतान के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक-बी/5956-6118/2011-12 दिनांक-23 दिसम्बर, 2011 द्वारा भुगतान से संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश भी आपको दिए गए थे। तदनन्तर पत्रांक बी/6742-7163/2011-12 दिनांक 24-01-2012 द्वारा धनराशि रू0 9,28,40,000/- (रूपये नौ करोड़ अट्ठाईस लाख चालीस हजार मात्र) का आवंटन करते हुए उस आवंटन पत्र में ही वित्तीय वर्ष में कुल आवंटित धनराशि दर्शाते हुए भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। आपको उपरोक्त पत्रों के माध्यम से यह भी निर्देशित किया गया था कि यदि आपके जनपद में किसी मुद्रक का गत वर्ष का अवशेष है, तो आवंटित धनराशि से भुगतान करते हुए बची धनराशि से वित्तीय वर्ष 2011-12 के देयकों का भुगतान करना सुनिश्चित करें। यह अत्यंत खेद का विषय है कि इतने महत्वपूर्ण कार्य में आप द्वारा उदासीनता बरती जा रही है।

उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आवंटित बजट को कोषागार में फीड कराने के साथ-साथ मुद्रकों द्वारा आपूर्तित निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के बिलों के सापेक्ष तत्काल भुगतान करना सुनिश्चित करें। आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र 10 दिन का समय अवशेष है। अतएव समस्त कार्यवाही 31 मार्च, 2012 के पूर्व सम्पादित करना अनिवार्य है। यदि आवंटित बजट आपकी उदासीनता के कारण कालातीत होता है तो आपका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही शासन को प्रस्तावित कर दी जायेगी।

भवदीय

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकन सं0- 8289-8512 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
3. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।